भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2494

उत्तर देने की तारीख : 10.08.2026

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इक्विटी सहायता संबंधी रोडमैप (एसएमई ग्रोथ फंड एवं एसआरआई फंड)

2494. श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा:
श्री रायगा कृष्णैया:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित 'एसएमई ग्रोथ फंड' को परिचालित करने तथा एमएसएमई के लिए इक्विटी सहायता को सुदृढ़ करने हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एमएसएमई के लिए इक्विटी निवेश को सुगम बनाने में 'आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष' के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आकांक्षी जिलों और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए इक्विटी वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार करने हेतु कोई तंत्र विकसित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पहलों से एमएसएमई के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को किस प्रकार सुदृढ़ किए जाने की अपेक्षा है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केंद्रीय बजट 2026-27 में एसएमई विकास निधि की घोषणा की गई थी और यह अभी तक शुरू नहीं की गई है।

(ग) से (च) : दिनांक 30.6.2026 तक, पूरे भारत में 766 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में आत्म-निर्भर भारत (एसआरआई) फंड के तहत कुल 20,004 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय, आकांक्षी जिलों और गैर-शहरी क्षेत्रों सहित, देश भर में आत्म-निर्भर भारत (एसआरआई) फंड के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए कार्यशालाओं/आउटरीच/इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन करता है। एसआरआई फंड के माध्यम से इक्विटी सहायता द्वारा इक्विटी आधार को बढ़ाने तथा एमएसएमई के तीव्र विकास में सहायता प्रदान करने में मदद की जाती है।
